अनुसूची–क

(धारा 5 देखिए)

सहकारिता के सिद्धांत

सहकारिता के सिद्धांत ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांत हैं जिनके द्वारा सहकारी संस्थाएं अपने मूल्यों को व्यवहार में लाती हैं।

प्रथम सिद्धांत : स्वैच्छिक और खुली सदस्यता

सहकारी संस्थाएं ऐसे स्वैच्छिक संगठन हैं जो इनकी सेवाओं का उपयोग करने में समर्थ और सदस्यता के उत्तरदायित्वों को स्वीकार करने के इच्छुक सभी व्यक्तियों के लिए लैंगिक, सामाजिक, जातीय, राजनैतिक या धार्मिक भेदभाव के बिना खुले हैं।

द्वितीय सिद्धांत : सदस्यों का लोकतांत्रिक नियंत्रण

सहकारी संस्थाएं अपने ऐसे सदस्यों के द्वारा नियंत्रित लोकतांत्रिक संगठन हैं जो उनकी नीतियां बनाने और विनिश्चय करने में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। निर्वाचित प्रतिनिधियों के रूप में कार्य करने वाले पुरुष और महिलाएं सदस्यों के प्रति जवाबदेह होते हैं। प्राथमिक सहकारी संस्थाओं में सदस्यों को समान मत (एक सदस्य, एक मत) देने के अधिकार प्राप्त होते हैं और अन्य स्तर पर भी सहकारी संस्थाएं लोकतांत्रिक रीति से संगठित की जाती हैं।

तृतीय सिद्धांत : सदस्यों की आर्थिक सहभागिता

सदस्य, अपनी सहकारी संस्था की पूंजी में अभिदाय करते हैं, और उस पर लोकतांत्रिक रूप से नियंत्रण करते हैं। उस पूंजी का न्यूनतम भाग प्राय: सहकारी संस्थाओं की सामान्य सम्पत्ति है। सदस्य, सदस्यता की शर्त के रूप में अभिदत्त पूंजी पर प्राय: सीमित प्रतिकर, यदि कोई हो, प्राप्त करते हैं। सदस्य, निम्नलिखित किन्हीं भी प्रयोजनों के लिए अधिशेष आवंटित करते हैं :–

अपनी सहकारी संस्था का यथासंभव ऐसी आरक्षिती स्थापित करके जिसका कम से कम एक भाग अविभाज्य होगा, विकास करना, सदस्यों को सहकारी संस्था के साथ उनके संव्यवहारों के अनुपात में फायदा पहुंचना, और सदस्यों द्वारा अनुमोदित अन्य क्रियाकलापों का समर्थन करना।

चतुर्थ सिद्धांत : स्वायत्तता और स्वतंत्रता

सहकारी संस्थाएं अपने सदस्यों द्वारा नियंत्रित स्वायत्त, स्वसाहाय्य संगठन हैं। यदि वे सरकारों सहित अन्य संगठनों के साथ करार करती हैं या, बाह्य स्रोतों से पूंजी जुटाती हैं तो वे ऐसा उन निबंधनों पर करती हैं जो उनके सदस्यों द्वारा लोकतांत्रिक नियंत्रण को सुनिश्चित करे और उनकी सहकारी स्वायत्तता को बनाये रखे।

पंचम सिद्धांत : शिक्षा, प्रशिक्षण और सूचना

सहकारी संस्थाएं अपने सदस्यों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, प्रबंधकों और कर्मचारियों को शिक्षा और प्रशिक्षण उपलब्ध कराती हैं जिससे वे अपनी सहकारी संस्थाओं के विकास के लिए प्रभावी रूप से सहयोग कर सकें। वे, सहकारिता के स्वरूप और फायदों के बारे में जनसाधारण, विशेष रूप से युवाओं और मतनायकों को सूचित करती हैं।

षष्ठम् सिद्धांत : सहकारी संस्थाओं के मध्य सहकारिता

सहकारी संस्थाएं अपने सदस्यों द्वारा अनुमोदित नीतियों के माध्यम से अपने समुदायों के पोषणीय विकास के लिए कार्य करती हैं।

SCHEDULE-A

(See Section 5)

CO-OPERATIVE PRINCIPLES

The co-operative principles are guidelines by which co-operative put their values into practice.

1st Principle : Voluntary and Open Membership

Co-operatives are voluntary organisations, open to all persons able to use their services and willing to accept the responsibilities of membership, without gender, social, racial, political, or religious discrimination.

2nd Principle : Democratic Member Control

Co-operatives are democratic organisations controlled by their members, who actively participate in setting their policies and making decisions. Men and women serving as elected representatives are accountable to membership. In primary co-

operatives members have equal voting rights (one member, one vote) and co-operatives at other levels are also organised in a democratic manner.

3rd Principle : Member Economic Participation

Members contribute to, and democratically control, the capital of their co-operative. At least part of that capital is usually the common property of the co-operative. Members usually receive limited compensation, if any, on capital subscribed to as a condition of membership. Members allocate surpluses for any of the following purposes :-

Developing their co-operative, possibly by setting up reserves, part of which at least would be indivisible, benefiting members in proportion to their transactions with the co-operative, and supporting other activities approved by the membership.

4th Principle : Autonomy and Independence

Co-operatives are autonomous, self-help organisations controlled by their members. If they enter into agreements with other organisations, including Governments or, raise capital from external sources, they do so on terms that ensure democratic control by their members and maintain their co-operative autonomy.

5th Principle : Education, Training and Information

Co-operatives provide education and training for their members, elected representatives, managers and employees so they can contribute effectively to the development of their co-operatives. They inform the general public particularly young people and opinion leaders about the nature and benefits of co-operation.

6th Principle : Co-operation among Co-operatives

Co-operatives work for the substainable development of their communities through policies approved by their members.

❑ ❑